भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 78

25 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

लोक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के उद्देश्य से एक कानून तैयार करना

78 **डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जापान की तर्ज पर लोक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने पुलों, सड़कों और भवनों जैसी लोक निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता में तेजी से आ रही गिरावट, जिससे करदाताओं के धन की बर्बादी हो रही है और यह सुरक्षा के लिए भी भारी जोखिम है, को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक कानून बनाने हेतु विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और केन्द्रीय सरकार की अन्य एजेंसियों और विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) : ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग): सार्वजनिक कार्यों की गुणवत्ता सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) दिशा-निर्देशों, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल और सीपीडब्ल्यूडी की मानक संचालन प्रक्रियाओं के प्रावधानों द्वारा सुनिश्चित और निर्देशित की जाती है।

*****